1/426/11-12
Sep 19, 2012

महत्वपूर्ण
संख्या–2646/9–1–12–37च/08

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

21845
22854

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1

लखनऊः दिनांकः 5 सितम्बर, 2012

विषयः नागर निकाय कार्मिकों के विरूद्ध जांच की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि निकाय कर्मियों द्वारा सेवाकाल में शासकीय धन के दुरूपयोग तथा वित्तीय अनियमितता किये जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही समयान्तर्गत संस्थित नहीं हो पाती है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त सी.एस.आर. के अनुच्छेद 351A में सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम 4 वर्ष की अवधि में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा सकती है, वशर्ते अनियमितता सेवानिवृत्ति की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पुरानी भी न हो। प्रकरण में उक्त समयावधि से उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही न हो पाने से शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं हो पाती है।

2 अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकाय कर्मियों के विरूद्ध जांच प्रकरण में तत्परतापूर्वक समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विभागीय कार्यवाही के समापन के उपरान्त यदि प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य सृजित होना प्रतीत होता है, तो उस दशा में उत्तरदायी कार्मिक के विरूद्ध शासनादेश संख्या–13/2/2012/का–2012, दिनांक 24 मई, 2012 (प्रति संलग्नक) में वर्णित प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अभियोजना की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

मुझे यह भी कहना है कि उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही में शिथिलता पाये जाने पर शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध संगत प्रभावी नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जाय एवं आवश्यकतानुसार ऐसे प्रकरण शासन को समय से कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किये जाय।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।